

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. लादूलाल माली पुत्र देवीलाल माली उम्र वयस्क निवासी नरसिंगद्वारा के पास फूलेरा माली का मोहल्ला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. देवीलाल माली पुत्र गुलाब माली उम्र वयस्क निवासी नरसिंहद्वारा के पास फूलेरा माली का मोहल्ला भीलवाड़ा
2. सोहनलाल पुत्र देवीलाल माली उम्र वयस्क निवासी नरसिंहद्वारा के पास फूलेरा माली का मोहल्ला भीलवाड़ा
3. छगन पुत्र देवीलाल माली उम्र वयस्क निवासी नरसिंहद्वारा के पास फूलेरा माली का मोहल्ला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 188-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 245/2010 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री रामनिवास गुप्ता उपस्थित नहीं - इस वाद में आज तारीख 10.02.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना पूर्ण नहीं किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 2 की पालना नहीं किये जाने से खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

29/1/25 - पत्रावली चेरा हुई। कादी अचिठ 3700 पत्रिका
 अचिठ 3700 पत्रिका सप्तोच्चि कद चेरा कस्ते हेतु
 प्रार-कार- समय दिया जाने पर सप्तोच्चि कद-
 चेरा नहीं दिया न्यायविन में आरिष के अरिष
 अणसक दिया जाने पत्रावली दिनांक 5/2/25 को
 चेरा
 5/2

5/2/25

पत्रावली पेश हुयी उपपक्ष
 पीठासीन अधिकारी अथ कार्य से व्यस्त
 अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
 दिनांक 10/2/25 को पेश हो।

अदिश से शहर

10/2/25 पत्रावली चेरा हुई। कादी एवं कादी आदि.
 अनुप हिलत) कादी एवं कादी आदि वचना को
 नियमानुसार तीन बार भावजे लगवारी
 गई, परन्तु कोई उपपक्ष नहीं आया। कादी
 का आदेशिका दिनांक 12/9/24 की पालना
 में निरन्तर प्रवृत्त होने के उपरान्त ही
 संशोधित काद प्रवेश नहीं किया गया है।
 अतः कादी मश न्यायालय आदेश की पालना
 पूर्ण नहीं किसे जाने से कादी अंत जालन
 काद प्र-वर्तित जाकर 88, 92 म, 188 एवं 53
 राजमान कारकारी आदेशिका को मीबिल
 उछिजा संशुद्ध के आदेश 17 नियम 2 की
 पालना नहीं किसे जाने से खारिज किया
 जाता है। निरिज नरे बजलान सुबला अजा
 उछिजी पचा जाबी हो।

पत्रावली जौनल कुमार लोकर
 दाखिल एकरा हो नया नमूना में कम हो।

10/2/25

सहायक कलेक्टर
 भीलवाड़ा